संख्या जी0आई0 5/464/52-1-2013-1(137)/08टी0सी0-।

प्रेषक,

के0एम0त्रिवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0
लखनऊ।

**अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 02 दिसम्बर, 2013**

विषय- भारत सरकार द्वारा संचालित- प्री मैट्रिक स्कालरशिप योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0-जी0आई0-278/52-1-13-1(137)/08 टी0सी0-1, दिनांक 23.07.2013 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-11/17/2013-पी0पी0(पी0पी0आर0) दिनांक 30.10.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयांकित योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा रू0 1,17,27,24,533/- (75प्रतिशत केन्द्रांश के रूप में) धनराशि प्राप्त हुई है तथा उसके सापेक्ष 25 प्रतिशत राज्यांश के रूप में बनने वाली धनराशि रू0 39,09,08,178/- अर्थात् कुल धनराशि रू0 1,56,36,32,711/- (रूपये एक अरब छप्पन करोड़ छत्तीस लाख बत्तीस हजार सात सौ ग्यारह मात्र) अवमुक्त किया जाना अपेक्षित है।

2- चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रश्नगत योजना हेतु अनुदान संख्या-48 में पूर्व दशम् छात्रवृत्ति (प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति) हेतु रू0 03,42,93,87,000/- (रूपये तीन अरब बयालिस करोड़ तिरान्नबे लाख सत्तासी हजार मात्र) का आय-व्ययक प्राविधान है, जिसमें 25 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि सम्मिलित है। उक्त धनराशि में से शासन के उपरोक्त पत्र दिनांक 23.07.2013 द्वारा रू0 95,05,89,333/- की धनराशि स्वीकृत कर आपके निवर्तन पर पूर्व में ही रखी जा चुकी है।

3- प्री-मैट्रिक स्कालरशिप योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 1,56,36,32,711/- (रूपये एक अरब छप्पन करोड़ छत्तीस लाख बत्तीस हजार सात सौ ग्यारह मात्र) निम्नांकित **<u>शर्तों एवं प्रतिबन्धों</u>** के अधीन स्वीकृत कर निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार तथा शासन द्वारा निर्गत शासनादेश/दिशा-निर्देशों के अनुपालन में किया जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में जहां आवश्यक हो, व्यय होने से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर ली जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा धनराशि भारत सरकार के पत्र सं0-11/17/2013-पी0पी0(पी0पी0आर0), दिनांक 30.10.2013 में निहित व्यवस्थानुसार आन-लाइन वितरित की जायेगी।

4- जिन शिक्षण संस्थानों के विरूद्ध छात्रवृत्ति के भुगतान में अनियमितताओं की शिकायत हो उनमें छात्रवृत्ति की अनियमितताओं की प्रबल सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुये उन शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान छात्र/छात्राओं को वास्तविक संख्या का पूर्ण सत्यापन कराकर ही किया जायेगा। यदि फिर भी धनराशि के वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिए सम्बन्धित अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-48 के लेखा शीर्षक-2225-अनुसूचित जातियॉ, जन जातियॉ तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-आयोजनागत-800 अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-0101-अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं के लिए पूर्व दशम् (प्री-मैट्रिक) छात्रवृत्ति (75प्रतिशत केन्द्राशं)-21-छात्रवृत्तियॉ एवं छात्र वेतन के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त आयोग वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0-बी-1-640/दस-2013-231/2012, दिनांक 28.03.2013 में दिए गए दिशा निर्देशों के अधीन निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(के0एम0त्रिवेदी)
संयुक्त सचिव

<u>सं0जी0आई0-464(1)/52-1-13-तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार, 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 को उनके पत्र सं011/17/2013-पी0पी0(पीपीआर), दिनांक 30.10.2013 के क्रम में।

3- वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- वित्त(ई-11)/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1

6- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-3

7- सम्बन्धित सहायक।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(के0एम0त्रिवेदी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in